

# वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

## कार्यवाही विवरण

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 56वीं बैठक दिनांक 03 मई 2017 को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे मुख्यालय स्थित गांधी भवन में आयोजित की गई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गया:-

1.	प्रो० अशोक शर्मा कुलपति, वमखुविवि, कोटा।	अध्यक्ष
2.	प्रो० (श्रीमती) कमलेश शर्मा, वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
3.	प्रो० एच०बी० नंदवाना वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
4.	प्रो० दिनेश गुप्ता, वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
5.	प्रो० जे० के० शर्मा वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
6.	प्रो० बी० अरूण कुमार, वमखुविवि, कोटा। (परीक्षा नियंत्रक)	सदस्य
7.	डा० जितेन्द्र कुमार शर्मा निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, वमखुविवि, अजमेर।	सदस्य
8.	डा० दिलीप कुमार शर्मा निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, वमखुविवि, जोधपुर।	सदस्य
9.	डा० सुबोध कुमार, सह आचार्य, वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
10.	डा० अनिल कुमार जैन, सह आचार्य वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
11.	डॉ० (श्रीमती) क्षमता चौधरी सहा० आचार्य, वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
12.	डॉ० (श्रीमती) मीता शर्मा सहा० आचार्य, वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
13.	डॉ० श्रीमती कीर्ती सिंह सहा० आचार्य, वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
14.	डॉ० अनुरोध गोधा सहा० आचार्य, वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
15.	डॉ० श्रीमती अनुराधा दुबे सहा० आचार्य, वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
16.	डॉ० कपिल गौतम सहा० आचार्य, वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
17.	डा० आलोक चौहान सहा० आचार्य, वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
18.	श्री सुशील राजपुरोहित सहा० आचार्य, वमखुविवि, कोटा।	सदस्य
19.	श्री संदीप हुड्डा सहा० आचार्य, वमखुविवि, कोटा।	सदस्य



- |     |   |            |
|-----|---|------------|
| 20. | श्री रवि गुप्ता<br>सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।  | सदस्य      |
| 21. | डा0 नित्यानंद शर्मा<br>वमखुविवि, कोटा।          | सदस्य      |
| 22. | श्री एन0 एल0 चांडक<br>कुलसचिव<br>वमखुविवि,कोटा। | सदस्य सचिव |


सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यगणों का स्वागत करते हुए आपातकालीन बैठक बुलाए जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में सदन को जानकारी दी गई। उक्त जानकारी उपरांत माननीय कुलपति महोदय ने प्रो0 दिनेश गुप्ता, निदेशक, शोध विभाग को निर्देशित किया कि राज्यपाल सचिवालय से शोध करवाए जाने हेतु प्राप्त गाईडलाइन के सम्बन्ध में सदन को विस्तृत जानकारी देवें, प्रो0 दिनेश गुप्ता द्वारा सदन को गाईडलाइन एवं यू0जी0सी0 अधिनियम 2016 के सम्बन्ध में तथ्यपरक जानकारी दी गई, राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त नियमों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाने के बाद विश्वविद्यालय शोध कार्य करवाए जाने के लिए राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त गाईड लाइन के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय किए गए:-

1. शोध कार्य के सम्बन्ध में यू0जी0सी0 अधिनियम 2016 को विश्वविद्यालय में लागू करने का निर्णय किया गया।
2. शोध कार्य के लिए राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त गाईड लाइन को विश्वविद्यालय में लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
3. राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त गाईड लाइन के संदर्भ में विश्वविद्यालय के शोध नियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिए विद्या परिषद की 55वीं बैठक में गठित निम्नलिखित समिति से ही उक्त कार्य करवाए जाने का निर्णय किया गया :-

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. निदेशक, समस्त विद्यापीठ | सदस्य      |
| 2. उप निदेशक, शोध विभाग    | सदस्य सचिव |

4. शोध कार्य के लिए यू0जी0सी0 अधिनियम 2016 तथा राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त गाईड लाइन के तहत समस्त नियम /आर्डिनैस बनौने में समय लगेगा तथा सूचना वेबसाइट पर दिनांक 08.04.17 तक अद्यतन की जानी थी उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया गया कि फुल टाईम एवं पार्ट टाईम शोधार्थियों के सम्बन्ध में शोध विभाग द्वारा शोधार्थियों से आवश्यक सूचना प्राप्त की जाए।

उपरोक्त निर्णयों के बाद आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के उपरांत बैठक समाप्त घोषित की गई।

  
 कुलसचिव एवं  
 सदस्य सचिव, विद्या परिषद